

354
LM
7-10-18

fayaz
KIKed
D3-Part.

आवश्यक

संख्या: 3198 /12-2-2018

246
x/x/18

प्रेषक,

प्रशांत शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2018

विषय: कृषि विभाग में बीज, उर्वरक तथा कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री हेतु ऑन-लाइन लाइसेंस प्रणाली करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: प्रसार-कम्प्यूटर-925 दिनांक 27 अगस्त, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा बीज, उर्वरक तथा कृषि रक्षा रसायन के विक्रय लाइसेंस हेतु ऑन लाइन लाइसेंस सिस्टम को लागू करने तथा ऑफ लाइन लाइसेंस निर्गत करने की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग में बीज, उर्वरक तथा कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री हेतु ऑफ लाइन लाइसेंस निर्गत करने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से ऑन लाइन लाइसेंसिंग प्रणाली को लागू किया जाना सुनिश्चित कराते हुए समस्त संबंधित को सूचित करने का कष्ट करें।

ADA(Ext)

9.10.18

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश

AD (Ext)

कृ. निदेशक
10/10

भवदीय,
(प्रशांत शर्मा)
विशेष सचिव।